

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक 1796 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक-29.01.2024.

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या-121/81-2-2024-800(283) / 2023 दिनांक-24.01.2024 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-1964/11-सी दिनांक-29.01.2024.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था, उ0प्र0 शासन के कार्यालय के पत्र संख्या-121/81-2-2024-800 (283)/ 2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्ति लगायी गयी है।

उक्त के क्रम में आपको उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आप उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना/आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

संख्या- 1796 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओबरा को उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना/आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

0/c

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

संख्या-121/81-2-2024-800(283)/2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 24 जनवरी 2024

विषय- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या- यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरयानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1758/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/117639/2021 दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ? 34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है। प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए युक्तिसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by दिनेश

कुमार सिंह

Date: 24-01-2024 18:43:16

Reason: Approved (दिनेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1864 /11-सी- FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 29, 2024

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वकोबरत करें
का-का करें

यु०प्र० शासन
29/01/2024

h8
(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।